न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 59/2019

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........**प्रार्थी**

बनाम

मैसर्स सलीम होटल त्रिपोलिया गेट, अन्दरकोट, अजमेर।
जरिये मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री मोहम्मद युसुफ
निवासी–त्रिपोलिया गेट, अन्दरकोट, अजमेर।

.......**अप्रार्थी**

प्रार्थनापत्र अन्र्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक **21.11.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.03.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा सलीम होटल, त्रिपोलिया गेट, अन्दरकोट, अजमेर की जांच करने पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा भोजन बनाकर विक्रय किया जा रहा था। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग पाये जाने पर मौके से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	193193	BPCL	15.4kg	25.8kg	10.4kg	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। वक्त जांच उपस्थित अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य गैस सिलेण्डर के सदंर्भ में प्रस्तुत नही किया गया। चूंकि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रयान गैस ऐजेन्सी, अजमेर के कार्मिक अयुब खान पुत्र कयूम खान निवासी फकीराखेडा, अजमेर को बुलाकर उनकी सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया, जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 1.03.2019 को जांच दौरान सलीम होटल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में उपस्थित अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सलीम होटल पर कार्य करता है, होटल का मालिक अन्य व्यक्ति है। होटल पर मात्र चाय का विक्रय किया जाता है, जबकि परिवाद में भोजन बनाकर विक्रय किये जाने का आरोप है, जो कि मिथ्या है। होटल पर व्यवसायिक सिलेण्डर ही उपयोग में लिया जाता है। बरामद घरेलू सिलेण्डर घर के उपयोग में आता है जो खाली हो जाने पर गैस भरवाकर घर ले जाने के लिए रखा गया था। अतः न्यायहित में जब्त सिलेण्डर अप्रार्थी को वापिस दिलवाये जाने का आदेश प्रदान कराते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वक्त जांच सलीम होटल में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौके से कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner